153

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 रिव्यू I/पुनर्विलोकन/शिवपुरी/प्र.क./2017/1779

1. किशनलाल पुत्र नत्थू रजक
2. कुंजन पत्नि किशनलाल रजक
3. सुग्रीव पुत्र किशनलाल रजक
4. अरविन्द पुत्र किशनलाल रजक

निवासीगण ग्राम पौठयाई तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. भारत सुमन पुत्र कुन्दनलाल निवासी ग्राम पौठयाई तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी म.प्र.
2. म.प्र. शासन

.....अनावेदक

रिव्यू अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्र.क. 1461—I/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से रिव्यू निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

1. यह कि, उक्त रिव्यू को प्रभावित करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम पौठयाई तह. खनियाधाना जिला शिवपुरी के सर्वे क. 605, 608, 611 एवं 624 के सम्बन्ध में अनावेदक क. 1 द्वारा तहसील न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

I / पुर्नविलोकन / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 1779

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक द्वारा यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	